

प्रेस विज्ञप्ति थाना गोला दिनांक 24-07-2021

गैरेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एंव पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक गोला के निर्देशन में मु0अ0सं0 255/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र रामनरायन यादव निवासी प्रतापीपुर थाना उरूवाबाजार जनपद गोरखपुर हाल पता ग्राम बांहपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर को साईजोत तिराहा (गोपालपुर) थाना गोला जनपद गोरखपुर से दिनांक 24.07.21 को समय 08.05 बजे (सुबह) हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

मनीष यादव पुत्र रामनरायन यादव निवासी प्रतापीपुर थाना उरूवाबाजार जनपद गोरखपुर, हाल पता ग्राम बांहपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

स्थान – साईजोत तिराहा (गोपालपुर) थाना गोला जनपद गोरखपुर।

दिनांक- 24.07.21 समय 08.05 बजे।

जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-

मु0अ0सं0 255/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 12/16 धारा 392/411 भादवि0 थाना गोला, जनपद गोरखपुर।

2. मु0अ0सं0 305/16 धारा 392/411 भादवि0 थाना गोला, जनपद गोरखपुर।

3. मु0अ0सं0 255/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना गोला जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का नाम

1. उ0नि0 राजेश यादव

2. हे0का0 शैलेश सिंह

3. का0 आशुतोष कुमार

4. का0 वरूण कुमार